न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 186 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.मिरगोदेवी पुत्री नरीगाराम पत्नि वालाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी 2. अणसीदेवी पुत्री नरीगाराम पत्नि दमाराम उम्र 64 वर्ष जाति जाट निवासी हाल घड़ोई नाडी, जानीयाना तहसील पचपदरा 3. शेरूदेवी पुत्री नरीगाराम पत्नि लालाराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी 4. चुकीदेवी पुत्री नरीगाराम पत्नि धर्माराम उम्र 41 वर्ष निवासी जानियाना तहसील पचपदरा		1. तालाराम पुत्र नरींगाराम उम्र 51 वर्ष 2. चुतराराम पुत्र नरींगाराम उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी ऐवाजी मानजी तहसील सिणधरी 3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाख्या भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 4 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 14.02.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीनीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीनीगण को वाद में सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा एवाजी मानजी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी में मूल खसरा नम्बर 140/66 रकबा 79.10 [illegible] 140 बीघा कुल रकबा 319 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 226/140 रकबा [illegible]4316 [illegible], खसरा नम्बर 228/156 रकबा 19.3958 हेक्टयर, खसरा नम्बर 225/140 रकबा [illegible]15 बीघा खसरा नम्बर 227/156 रकबा 19.3958 हेक्टयर [illegible] प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता नरीगा खातेदारी व कब्जे काश्त की थी [illegible] नरीगा के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 191 पारित किया गया जो नामान्तरकरण अकेले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता रूखमों के नाम से पारित किया गया जबकि प्रार्थीनीगण भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार नरींगा की जायंदा पुत्रीयां व विधिक वारिश होने के कारण प्रार्थीनीगण को भी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ नरींगा की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण संख्या 191 के राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में अंकित करना था परन्तु प्रार्थीनीगण ग्रामीण महिला व अनपढ होने के कारण विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.10 14:22:37 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 व 2 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा प्रार्थीनीगण को अपने पिता की सम्पति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया जबकि प्रार्थीनीगण नरींगा की विधिक जायन्दा पुत्रीयां होने के कारण नींगा की खातेदारी की भूमि में अपनी हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारिणी है तथा उसके बाद प्रार्थीनीगण की माता रूखमों के फौत होने पर उनका फौतगी नामान्तरकरण संख्या 372 भी अकेले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से पारित कर दिया तथा बाद में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमि का आपस में बंटवाडा करवा लिया। कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त व सामलाती रूप से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीनीगण स्व. नरींगा व श्रीमती रूखमों की जायदा पुत्रीयां व विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनीगण का 1/6–1/6 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा हिस्सा बंट में आता है तथा इसी अनुसार प्रार्थीनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनीगण स्व. नरींगा व श्रीमती रूखमों की जायंदा पुत्रीयां व विधिक उतराधिकारी है तथा प्रार्थीनीगण का स्व. नरींगा की पैतृक सम्पति में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बराबर–बराबर हक व हिस्सा है तथा प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्व. नरीगा के विधिक वारिशान है तथा प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से में रहवासी ढाणिया आदि बने हुऐ है तथा प्रार्थीनीगण का अपने हिस्से पर लगातार निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रार्थीनीगण का स्व. नरींगा व श्रीमती रूखमों की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर प्रार्थीनीगण का नाम अंकित नहीं करवाया गया तथा अब विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपना अकेलों के नाम राजस्व रेकर्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवा लिया है तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को संयुक्त भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनीगण का 1/6–1/6 हिस्सा की भूमि पैतृक खातेदारी की है। इसलिये प्रार्थीनीगण को यह अधिकार है कि प्रार्थीनीगण विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ 1/6–1/6 हिस्सा भूमि पैतृक खातेदारी की होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनीगण का कब्जा काश्त होने व स्व. नरींगा व श्रीमती रूखमों की विधिक व वैध वारिश होने से घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। कि वर्तमान में जमीनों की कीमतों उत्तरोतर वृद्धि होने के कारण तथा प्रार्थीनीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने से विप्रार्थी संख्या 1 व 2 लगातार प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप कर रहा है तथा प्रार्थीनीगण को उनके कब्जे काश्त से बेंदखल करने की धमकियां दे रहा है जबकि प्रार्थीनीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा भूमि हक व हिस्सा उत्पन्न होने तथा स्व. नींगा व श्रीमती रूखमों की विधिक वारिशान होने से विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त व हिस्से में दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है साथ ही विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा भूमि का अन्यत्र अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कर दिया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी [illegible]ति भविष्य में मुद्रा के रूप में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का [illegible] अतः प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा एवाजी मानजी पटवार [illegible] तहसील सिणधरी में मूल खसरा नम्बर 140/66 रकबा 79.10 बीघा, खसरा नम्बर 156/90 रकबा 240 बीघा कुल रकबा 319 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 226/140 रकबा 6.[illegible] बीघा, खसरा नम्बर 228/156 रकबा 19.3958 हेक्टयर, खसरा नम्बर 225/140 रकबा 6.4315 बीघा, खसरा नम्बर 227 / 156 रकबा 19.3958 हेक्टयर के संबंध में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का बेचान, रहन आदि नही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण आदि नहीं करें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.03.10 14:22:37 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिणधरी

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा एकाली मानजी पटवार क्षेत्र हण्डाली तहसील सिणधरी में मूल खसरा नम्बर 140 / 66 रकबा 79.10 बीघा, खसरा नम्बर 156 / 90 रकबा 240 बीघा कुल रकबा 319 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 226 / 140 रकबा 6.4316 बीघा, खसरा नम्बर 228 / 156 रकबा 19.3958 हैक्टयर, खसरा नम्बर 225 / 140 रकबा 6.4315 बीघा, खसरा नम्बर 227 / 156 रकबा 19.3958 हैक्टयर का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता नरीगा खातेदारी व कब्जे काश्त की थी तथा नरीगा के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 191 पारित किया गया जो नामान्तरकरण अकेले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता रूखमों के नाम से पारित किया गया जबकि प्रार्थीनीगण भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार नरींगा की जायंदा पुत्रीयां व विधिक वारिश होने के कारण प्रार्थीनीगण को भी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ नरींगा की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण संख्या 191 के राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में अंकित करना था परन्तु प्रार्थीनीगण ग्रामीण महिला व अनपढ होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा प्रार्थीनीगण को अपने पिता की सम्पति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया जबकि प्रार्थीनीगण नरींगा की विधिक जायन्दा पुत्रीयां होने के कारण नींगा की खातेदारी की भूमि में अपनी हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारिणी है तथा उसके बाद प्रार्थीनीगण की माता रूखमों के फौत होने पर उनका फौतगी नामान्तरकरण संख्या 372 भी अकेले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से पारित कर दिया तथा बाद में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमि का आपस में बंटवाडा करवा लिया। कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त व सामलाती रूप से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीनीगण स्व. नरींगा व श्रीमती रूखमों की जायदा पुत्रीयां व विधिक व वैध वारिश होने से घोषणा किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्वता रखता हो, जिसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर निर्धारित होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं? ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीनीगण का आवेदन सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से दर्ज हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.10 14:22:37 IST
Reason: SelfAttested